संख्या-15 /2022/ई-1894078/71-03-2021

प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
बहराइच।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनाँक 24 जनवरी, 2022**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच में प्रथम नवीनीकरण (एलओपी-2) विभागों हेतु फर्नीचर क्रय की अनुमति दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-म0सु0स्वा0रा0म0/अनुमोदन/2021-22/1322, दिनांक 12.10.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच हेतु शासनादेश दिनांक 13.07.2021 द्वारा रा0नि0नि0 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 1308.00 लाख से प्रथम नवीनीकरण एलओपी-2 हेतु अवशेष फर्नीचर रू0 3,85,42,366.00 क्रय किये जाने की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच को शासनादेश दिनांक 13.07.2021 द्वारा रा0नि0नि0 के माध्यम से उपलब्ध करायी गयी धनराशि रू0 1308.00 लाख से प्रथम नवीनीकरण (एलओपी-2) विभागों हेतु निम्नलिखित अवशेष फर्नीचर (संलग्नक के अनुसार) लागत रू0 3,85,42,366.00 को क्रय किये जाने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की जाती है:-

1. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुये पारदर्शी प्रक्रिया के तहत आवश्यक और उपयोगी उपकरण/फर्नीचर क्रय किये जायें। सभी उपकरणों/फर्नीचरों की उपयोगिता, विशिष्टियों, गुणवत्ता, नियमानुसार युक्तिसंगत दरों का निर्धारण महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं सम्बन्धित प्रधानाचार्य द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा तथा आडिट आदि की जिम्मेदारी सम्बन्धित संस्था की होगी।
2. प्रश्नगत फर्नीचर का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत फर्नीचर के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी। फर्नीचर क्रय किये जाने के उपरांत उनकी गुणवत्ता एवं मानक के अनुसार होने सम्बन्धी रिपोर्ट प्रधानाचार्य द्वारा शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
3. डुप्लीकेसी से बचने हेतु फर्नीचर/उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि फर्नीचर की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत फर्नीचर की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
5. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं फर्नीचर का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
6. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7. शासनादेश संख्या-57/2019/301-71-3-2109-एन0एम0-07/2019, दिनांक 18.03.2019 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 22-03-2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22-03-2021 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/दिनांक, उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चि0शि0 एवं प्रशि0, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, बहराइच।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, बहराइच।
7. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-15/2022/ ई-1894078-71-3099/203/2020-03-, दिनांक 24 जनवरी, 2022 का संलग्नक।

Sr. No.	**Item/Furniture**	**Quantity**	**Unit Price With GST**	**Total Price With GST**
1	Executive Table	26	65791	1710566
2	Visitor Chair	36	4260	153360
3	Four Drawrer Book Case	40	26398	1055920
4	Two Seater Sofa	5	23089	115445
5	Storewel Plain	115	21024	2417760
6	Work Station	28	43070	1205960
7	Customized Wooden museum display unit with Glass door	100	23305	2330500
8	Wall Side L Shape Table with 4 no. Sink	28	275294	7707948
9	Stool	715	1368	978120
10	Table	27	13629	367983
11	Chair Desklet	60	9817	589020
12	Table Without Regent Rack & with Sink	12	698560	8382720
13	Wall Side Table Withou sink	12	355298	4263576
14	Six Door PLU	180	15987	2877660
15	High back Chair	2	9264	18528
16	2 Door Wardrobe	90	27890	2510100
17	Single Bed	90	8024	722160
18	Single Bed mattress	20	5824	116480
19	Study Table	90	7084	637560
20	Dinning Table	12	31750	381000
	Total Amount			38542366.00

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।